झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2025–27) में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं कक्षा 09 की परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन प्रपत्र जमा करने से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश

- वर्ग नवम् की परीक्षा का आयोजन बहुवैकल्पिक प्रश्नों (MCQ) के आधार पर OMR sheet के माध्यम से किया जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र Student Information sheet के रुप में होगा। उक्त प्रपत्र को विद्यालय प्रधान डाउनलोड कर सभी छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- भरे हुए आवेदन प्रपत्र सभी छात्र/छात्राएँ अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे।
- पूर्व में परिषद् द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में विद्यालय द्वारा सभी छात्र/छात्राओं के List of students for Registration/Examination (LoS) तैयार किया गया होगा। छात्र/छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराये गये भरे हुए Student Information sheet का मिलान तैयार LoS से किया जाय।
- तैयार किए गए LoS एवं Student Information sheet के मिलान के लिए विद्यालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। जिसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जाएगी। ये नोडल पदाधिकारी दोनों प्रपत्रों का मिलान करेंगे और उसमें किसी प्रकार का विभेद परिलक्षित होता है तो तुरन्त उसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय।
- दोनों प्रपत्रों के मिलान के बाद त्रुटिरहित LoS तैयार किया जाएगा, जो वर्ग शिक्षक, लिपिक, नोडल पदाधिकारी एवं विद्यालय प्रधान द्वारा सत्यापित होगा।
- त्रुटिरहित तैयार किए गए LoS में संधारित डाटा के आधार पर ही ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने की कार्रवाई की जाएगी।
- फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने में भी विद्यालय द्वारा त्रुटि की जाती है, जिससे दूसरे छात्र का फोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र के प्रमाणपत्र में अंकित हो जाते हैं। इस त्रुटि से बचने के लिए विद्यालय को यह सलाह दी जाती है कि LoS में अंकित संबंधित छात्र के क्रम संख्या को ही उस छात्र के फोटो एवं हस्ताक्षर के Scanned file का नामाकरण किया जाय। इससे फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते समय संबंधित छात्र के क्रम संख्या से उसकी पहचान की जा सकती है और त्रुटि की सम्भावना नगण्य होगी।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने के बाद छात्र का चेकलिस्ट डाउनलोड करना आवश्यक होगा।
- डाउनलोड किए गए चेकलिस्ट का मिलान पुनः LoS एवं Student Information sheet से किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भरे गये पंजीयन आवेदन प्रपत्र में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है।
- चेकलिस्ट पर विद्यालय प्रधान, नोडल पदाधिकारी, छात्र एवं उनके अभिभावक का हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा।
- चेकलिस्ट एवं LoS दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी। दूसरी प्रति विद्यालय अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। ताकि परिषद् को जब इसकी आवश्यकता होगी तो उसे उपलब्ध कराया जा सके।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने की कार्रवाई समाप्त होने एवं कक्षा नवम् की परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात् किसी भी तरह की संशोधन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसके संबंध में सशुल्क आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी पंजीयन संबंधी आवेदन के ऑनलाइन अनुमोदन देते समय विद्यालय द्वारा ई–विद्यावाहिनी/अपार आई0डी0 में भरे गए डाटा को भी दृष्टिपथ रखेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी के पंजीयन अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क Online या NEFT/RTGS के माध्यम से चालान में दिए Account No. में जमा करेंगे।
- शुल्क संबंधी राशि जमा करने के बाद चालान में दिए गए विवरणी को शुद्ध–शुद्ध भरकर पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही Consolidated statement download किया जा सकेगा।

- परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्र–छात्राओं का कक्षा नवम् की परीक्षा, 2026 के लिए प्रवेशपत्र निर्गत किया जाएगा, जिनका नाम Consolidated list में होगा।
- शुल्क जमा करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद, जाति प्रमाण पत्र, शपथपत्र (विद्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित) के साथ पंजीयन तिथि समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- **छात्र/छात्रा, उनके माता–पिता/अभिभावक, विद्यालय प्रधान एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चेकलिस्ट भी परिषद् कार्यालय में पंजीयन की अंतिम तिथि के 07 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।**
- **सभी विद्यालयों का अपना ई–मेल आई0डी0 होना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल आई0डी0 के माध्यम से ही भविष्य में परिषद् द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। विद्यालय से अलग ई–मेल आई0डी0 देने या उसका पासवर्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तगत कराने के उपरान्त किसी प्रकार की गोपनीयता भंग होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।**
- **वैसे विद्यालय, जिन्हें Login ID एवं Password प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, Login ID एवं Password के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में अनुरोध करेंगे।**
- **निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी :–**

(1)	राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय।	(7)	प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय।
(2)	सरकार द्वारा स्थापित 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय	(8)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)।
(3)	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।	(9)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (गैर अनुदानित)।
(4)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984–85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(10)	केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय।
(5)	सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय ।	(11)	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय
(6)	कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय।	(12)	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय

- निम्नलिखित कोटि के विद्यालय प्रधान ही स्वतंत्र छात्र–छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन–प्रपत्रों को अग्रसारित कर सकेंगे :–
  1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
  2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
  3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
  4. राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।
  5. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।
- विद्यालय प्रधान अपने संस्थान से स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन आवेदन प्रपत्र उतनी ही संख्या में भरेंगे, जितनी संख्या विद्यालय की आधारभूत संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। उक्त क्रियाशीलन के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
- स्वतंत्र छात्र/छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम् की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे।
- स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय, आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाणपत्र नहीं हैं, वे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूलप्रति जमा करना होगा।
- **दिनांक 01.03.2013 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।**
- छात्र/छात्राओं के पंजीयन विवरणी में सुधार जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करने के पूर्व करना सम्भव हो सकेगा। इसके उपरान्त विवरणी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
- स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखण्ड राज्य के निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा जो समेकित विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना होगा।

- कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, मॉडल विद्यालय, झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषित नहीं करेंगे।
- सभी विद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरणी, आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि के 07 दिनों के अन्दर परिषद् कार्यालय में हस्तगत कराना सुनिश्चत करेंगे।
- पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरी जाय। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे छात्र/छात्रा सामान्य कोटि के माने जायेंगे। भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जायेगा।
- **<u>पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन हेतु शुल्क की विवरणी</u>**

Sl No	Type	Cand Type	Fee without Fine (Rs.)	Fee with Fine (Rs.)
1	Regn + Exam	Regular Girls Candidate	**370**	**870**
2		Regular Boys Candidate	**520**	**1020**
3		Private Girls Candidate	**1670**	**2170**
4		Private Boys Candidate	**1670**	**2170**
5	Exam	Ex-Regular Girls Candidate	**370**	**870**
6		Ex-Regular Boys Candidate	**370**	**870**

- **<u>ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत् है</u>:–**

शुल्क विवरणी	**ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास Online submit करने की तिथि**	**जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र approve करने की तिथि**	**चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि**	**ऑनलाइन या NEFT/RTGS के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि**
विलम्ब शुल्क रहित	19.12.2025 से 05.01.2026 तक	19.12.2025 से 05.01.2026 तक	05.01.2026	08.01.2026
विलम्ब शुल्क सहित	06.01.2026 से 10.01.2026 तक	06.01.2026 से 10.01.2026 तक	10.01.2026	15.01.2026

- **जिन छात्र/छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम तीन वर्ष समाप्त हो चुकी हो, अर्थात् जिनका पंजीयन वर्ष 2021 (सत्र 2021–23) या उससे पूर्व हो, उन्हें नये रुप से पुनः पंजीयन (Fresh Registration) कराना अनिवार्य होगा तथा कक्षा 09 की परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। कक्षा 09 की परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ऐसे छात्र/छात्रा माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।**